

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक अभियंता (विद्युत)	01(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 ₹0)	चयन।	35 वर्ष तक। (सरकारी नियमों के अनुरूप छूट)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति द्वारा या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नत : पद्धतियों/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न/प्रतिनियुक्तिद्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (i) विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एआईसीटीई अनुमोदित स्नातक की डिग्री। (ii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या वैक्सिन अथवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में रेफरिजेशन एवं एयर कंडीनिशनिंग के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे / आमेलन किया जाएगा/प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : स्तर 6(35400-112400 रु0) में फोरमैन, ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित। मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी चार सप्ताह का प्रशिक्षण, विभाग द्वारा यथा विहित, सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: वे अधिकारी जो केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद एवं स्तंभ 7 में सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हताएं धारित करते हों।</p> <p>टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; उप निदेशक या सहायक निदेशक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; कमांडिंग ऑफिसर या उनके प्रतिनिधि, सैन्य अस्पताल, कसौली - सदस्य। <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड), केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष; उप निदेशक या सहायक निदेशक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य; कमांडिंग ऑफिसर या उनके प्रतिनिधि, सैन्य अस्पताल, कसौली - सदस्य। 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. ए.12018/06/2016 -ईपीआई]

(राजेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार